सूचना भवन
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग।

बोकारो, दिनांक– 16 मई, 2017 प्रेस विज्ञप्ति संख्या :– 154

बाल सखा एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किशोर न्याय (बच्चों के देखरेख संरक्षण) अधिनियम, 2015 कानून की सही अनुपालन के लिए स्टेक होल्डर्स के कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त श्री राय महिमापत रे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त श्री रे ने कहा कि जो भी प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत है उसे बोकारो जिले में क्रियान्वयन करने हेतु उचित मदद दी जाएगी। इस कार्य हेतु सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

बाल सखा राज्य न्याय बोर्ड के श्री पियूष सेन गुप्ता ने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के दायित्व के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की।

कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ0 विनय, डॉ0 प्रभाकर, सुधीर सिंह, बाल कल्याण समिति सदस्य –सह– सीसीआर, डीएसपी श्री रजत मणी बाखला, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री भोला शंकर महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री महीप सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमति बीना कुमारी, यूनिसेफ के सदस्य श्री धमेन्द्र कुमार, डीसीपीओ श्रीमति अनिता झा, किशोर न्याय परिषद के सदस्य अश्विनी कुमार, गीता वर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।

(विकास कु0 हेम्ब्रम)
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,
बोकारो।